BAR COUNCIL OF INDIA

At-a-Glance

by :
N. K. JAIN

The Bar Council of India Trust
New Delhi

बार कोंसिल—एक परिचय

प्रारम्भ में जब देश में विधि प्रेक्टिस की कोई व्यवस्थित स्थिति नहीं थी तो लोग विभिन्न नियमों के अधीन एडवोकेट, प्लीडर, अटार्नी, सोलीसिटर, मुख्तयार, रेवेन्यू एजेन्ट आदि नामों से विधि प्रेक्टिस किया करते थे। परन्तु बाद में विधिक कमीशन के सुझावों तथा बार कोंसिल इण्डिया की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर देश के अभिभाषक अधिनियम 1961 बनाया गया। इस अधिनियम में समस्त विधान एकीकृत एवं सुगठित कर दिया गया।

बार कोंसिलों का गठन

इस अधिनियम के द्वितीय एवं सप्तम अध्याय में राज्य बार कोंसिलों एवं बार कोंसिल, इण्डिया के गठन का प्रावधान है, जिसमें कोंसिल की चुनाव प्रक्रिया, अधिकारिता विधिक सहायता समिति के गठन आदि से संबंधित विषय निहित है।

उक्त अधिनियम के तृतीय, चतुर्थ और पंचम अध्यायों के विषय अभिभाषकों से संबंधित है और छठे अध्याय में विविध विषयक मामले दिए गए हैं।

अभिभाषकगणों के नाम एक सूची (रोल) में दर्ज किए जाते और उनकी सदस्यता से निर्वाचन द्वारा राज्य बार कोंसिल का गठन किया जाता है। प्रत्येक राज्य बार कोंसिल के सदस्यों में से एक-एक निर्वाचित सदस्य, अटार्नी जनरल एवम् भारत के सोलीसिटर जनरल से बार कोंसिल इण्डिया का गठन होता है। इसकी चुनाव प्रक्रिया तथा निर्वाचन, नियमों में प्रदत्त है।

अधिनियम की धारा 16 एवं उसके अधीन बने बार कोंसिल, इण्डिया के नियमों में एडवोकेटों (अभिभाषकों) को दो श्रेणियों में बाटा गया है। (1) सीनियर एडवोकेट्स, जिनको बिना वकालतनामा के हर न्यायालय में ट्रिब्यूनल में बहस का अधिकार होता है लेकिन वे अन्य वकालती कार्य नहीं कर सकते। उनको अपने साथ में एक अन्य अभिभाषक रखना होता है।

(2) वे एडवोकेट्स, जो सीनियर नहीं है।

सीनियर एडवोकेट्स कौन होंगे, यह उच्च एवम् सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाता है। उच्च न्यायालयों की धारा 34 में विधि प्रेक्टिस सम्बन्धी नियम बनाने का भी अधिकार है।

बार कोंसिल के लिए धन राज्य कोंसिलों द्वारा अधिवक्ताओं के नामांकरण राशि रु. 250) में से 20 प्रतिशत के हिस्से द्वारा जुटाया जाता है। हर अभिभाषक के लिए राज्य बार कोंसिल का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रत्येक अभिभाषक, जो बार कोंसिल रोल पर सदस्य है, 10 रु. प्रतिवर्ष अपनी राज्य कोंसिल को अदा करेगा, जो एक बैंक में जमा किए जायेंगे। उक्त राशि का 20 प्रतिशत अंश बार कोंसिल, इण्डिया को प्रेषित होगा, जो अभिभाषकों के हित में व्यय किया जायेगा। शेष 80 प्रतिशत राशि राज्य के अभिभाषकों के हित में व्यय की जाती है। बार कोंसिल इण्डिया द्वारा 5 सदस्यों की अभिभाषक हितकर समिति बनाई जायेगी।

अभिभाषकों हेतु नियम

बार कोंसिल इण्डिया द्वारा निर्मित नियमों के छठे भाग के प्रथम अध्याय में अभिभाषकों की उक्त दोनों श्रेणियों का वर्णन है तथा अभिभाषकों पर नियंत्रण एवं अनुशासन के नियम हैं। इसी के साथ मुवक्किलों (अभिभाष्यों) आदि के प्रति उनके नीति कर्तव्य बनाये गये हैं। जिनके अनुसार अभिभाषकों को आबद्ध किया गया है कि वे अपने अभिभाष्य (मुवक्किल) की गोपनीय बातों का फाश न करे, न विश्वासघात करे, न अपना प्रचार प्रसार करें, न अभिभाष्यों के साथ उधार व्यवहार करें। उनके लिए अभिभाष्य के व्यवहारगत व्यय का सही ब्यौरा व हिसाब रखना भी अनिवार्य है। अभिभाषकों के लिए अन्य धंधा या व्यापार करना वर्जित है।

अभिभाषकों के मिथ्याचार एवं दुराचरण के सम्बन्ध में किसी की लिखित शिकायत प्रस्तुत होने पर राज्य बार कोंसिल शिकायत को सुनवाई हेतु अपनी अनुशासन समिति को प्रेषित करती है, जो नियम प्रदत्त प्रक्रियानुसार वकील को नोटिस देकर दोनों पक्षों की सुनवाई करके निर्णय देती है और अधिनियम की धारा 35 में वर्णित शक्तियों के कारण दोषी पाये जाने पर अभिभाषक को ताड़ना निलम्बन, सदस्यता से हटाना आदि स्थिति अनुसार सजाएँ दे सकती है। अनुशासन समिति के निर्णय के विरुद्ध 60 दिन में बार कोंसिल इण्डिया की धारा 37 में अपील लेने का अधिकार है, जिसकी सुनवाई अनुशासन समिति द्वारा की जाती है। अपीलीय निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 60 दिनों के भीतर धारा 38 के अधीन अपील का प्रावधान रखा गया है। यह प्रक्रिया बार कोंसिल, इण्डिया के नियमों के भाग सप्तम के प्रथम अध्याय में वर्णित है।

बार कोंसिल, इण्डिया की अनुशासन समिति को वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं, जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्दिष्ट है तथा न्यायालयों को प्राप्त है। उक्त नियमों में विभिन्न स्थितियों में देय नोटिसों व अपील मेमो आदि के प्रारूप निर्धारित तथा उल्लेखित किये गये हैं।

बार कोंसिल, इण्डिया ट्रस्ट

बार कोंसिल द्वारा विधिक व्यवसाय को उन्नत करने, विधिक शिक्षा और शोध, पुस्तकें एवं रिपोर्ट एवं निर्धनों को विधिक सहायता देने जैसे उद्देश्यों के लिए सन् 1974 में बार कोंसिल, इण्डिया ट्रस्ट का गठन किया गया। वह ट्रस्ट पांच सदस्यी ट्रस्टी बोर्ड द्वारा संचालित है। सदस्यों का चुनाव चार वर्ष तक के लिए बार कोंसिल, इण्डिया के सदस्यों में से ही किया जाता है।

ट्रस्ट संविधानिक विधि, विधि व्यवसाय शिक्षा विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है तथा आपराधिक विधि एवं अन्य संबंधित विषयों पर पुस्तकें प्रकाशनाधीन है। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट एक त्रैमासिक पत्रिका "इण्डियन बार रिव्यू" भी प्रकाशित करता है।

ट्रस्ट ने कर्नाटक विधान मण्डल के एक अध्यादेश के तहत बार कोंसिल के सान्निध्य में बैंगलोर में देश का प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसमें अभ्यागत (विजिटर) है। इस विश्व-विद्यालय में वर्तमान सत्र में अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 60 विद्यार्थियों का चयन किया गया है तथा अध्ययन कार्य इस वर्ष से प्रारम्भ हो चुका है। हैदराबाद में आयोजित इन्टरमूट प्रतियोगिता में यहीं के छात्रों ने ट्राफी जीती थी।

ट्रस्ट ने अभिभावकों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक सात वार्षिक कार्यशालाएँ व विधि छात्रों के लिये मूट कार्ट्स आयोजित किये हैं। ट्रस्ट नवोदित अभिभाषकों को प्रतिमाह 500) छात्रवृत्ति 1 वर्ष के लिये देता है। ट्रस्ट ने सन् 1980 से 1988 तक छह लाख तेरह हजार रुपये का विभिन्न अभिभावक संघों के पुस्तकालयों के लिए अनुदान दिया है।

जयपुर में कार्यशाला

वर्तमान में ट्रस्ट द्वारा जयपुर में सन् 1988 की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला का विषय "कम्पनी विधि एवं पंच निर्णय" है। व्यवसायिक गति-विधियों पर सरकार के बढ़ते हुए नियंत्रण एवं संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के प्रकाश में वर्तमान में कई सिद्धान्तों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 1988 इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है, जिसके प्रभाव निकट भविष्य में ही स्पष्ट होंगे। उन्हीं सब बातों के परिप्रेक्ष्य में एवं नवोदित अभिभावकों के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं में वार्ता कौशल एवं पंच निर्णय से संबंधित शिक्षा का अभाव रहता है। पंच निर्णय के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्तर पर बढ़ते हुए महत्त्व को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय पंच निर्णय परिषद गठित है। विधि के इस प्रयोगात्मक पक्ष पर भी कार्यशाला में विचार किया जायेगा।

कार्यशाला में नेशनल ला स्कूल ऑफ इण्डिया बैंगलोर के कई मानद सदस्य प्राध्यापक होंगे। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति, देशपाण्डे, डा. एल. एम. सिंघवी, श्री एफ. एस. नरीमन, श्री के. के. वेणुगोपाल व श्री पी. एम. बक्षी अन्य विधिवेत्ताओं सहित इसमें अवैतनिक अध्यापन करते हैं। इनके अतिरिक्त श्री अनिल दीवान, इंदिरा जयसिंह, श्री ए. एन. जयराम, श्री पी. वी. मैनन (संयुक्त सचिव, भारत सरकार व कम्पनी विधि बोर्ड) श्री आर. सन्थानम् श्री वी. आर. रेड्डी श्री सी. के. गर्ग, श्री सी. एन. शर्मा एवम् श्री वी. पी. अग्रवाल कार्यशाला में विभिन्न राज्यों से भाग लेने आये वकील एवम् वकील प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करेंगे। यह कार्यशाला पांच दिन तक चलेगी। कार्यशाला का उद्घाटन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री जगदीश शरण वर्मा करेंगे तथा समापन समारोह राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री शिवचरण माथुर एवं केन्द्रीय विधि राज्य मन्त्री श्री हंसराज भारद्वाज की उपस्थिति में होगा। कार्यशाला का संचालन राष्ट्रीय विधि स्कूल, बैंगलोर के निदेशक डा. माधव मेनन करेंगे।

सन्दर्भ अभिभावक अधिनियम, 1961 व
बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के नियम—

एन. के. जैन
एडवोकेट

Bar Council of India
New Delhi

MEMBERS OF THE BAR COUNCIL OF INDIA

1. Shri V. R. Reddy, Chairman	Hyderabad (A.P.)
2. Shri K. J. Shethna, Vice-Chairman	Ahmedabad (Gujrat)
3. Shri K. Parasaran, Attorney—General, Ex-officio	New Delhi
4. Shri Milon Kumar Banerjee, Solicitor-General	New Delhi
5. Shri L. P. Bhargava	Ujjain (M.P.)
6. Shri Ranjit Mahanty	Cuttack (Orissa)
7. Shri Ranbir Singh Mahendra	Bhiwani (Punjab)
8. Shri V. C. Mishra	Allahabad (U.P.)
9. Shri L. Nand Kumar Singh	Imphal (Manipur)
10. Shri V. G. Govindan Nair	Trivendrum (Kerala)
11. Shri N. Rangaraj	Madras (Tamil Nadu)
12. Shri Saradindu Biswas	West Bengal
13 Shri B. P. Samaiyar	Patna (Bihar)
14. Shri D. V. Patil	Satara (Maharashtra)
15. Shri P. Viswanath Shetty	Bangalore (Karnataka)
16. Shri Brahmanand Sharma	Shimla (H.P.)
17. Shri C. L. Sachdeva	Delhi
18. Shri N. K. Jain	Jaipur (Rajasthan)
Shri S. M. Srivastava	Secretary
Shri C. M. Balraman	Assistant Secretary
Shri R. N. Tandon (Trust)	Assistant Secretary

MEMBERS, BAR COUNCIL OF INDIA (TRUST)

1. Shri B. P. Samaiyar	Managing Trustee
2. Shri V. R. Reddy	Chairman, Ex-Officio
3. Shri Ranbir Singh Mahendra	Associate Trustee
4. Shri N. K. Jain	Trustee